निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–92/15
दायरा दिनांक :–17.07.2015
निर्णय दिनांक :– 31.5.22

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/1 जगन्नाथ मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/2 रामगोपाल मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/3 केसरीलाल मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/4 रामकिशन मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/5 दुर्गाशंकर मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

2. बिरधीलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी नयागांव जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. श्रीमती द्वारका पुत्री श्री श्योपाल पत्नि किशनगोपाल जाति मीणा निवासी पानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92(A),188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.5.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0– वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92(A),188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि उनके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रटावद तहसील बारां के हाल खाता संख्या नया 108 पुराना 99 के हाल ख0नं0 492 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 539 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 541 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 543 रकबा 1.55 है0, ख0नं0 672 रकबा 2.54 है0, ख0नं0 673 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 708 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 748 रकबा 0.66 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.39 है0 स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण की पुश्तेनी आराजियात है, जो खातेदार धन्नालाल की मृत्यु उपरान्त जर्ये इंतकाल नं0 117 एवं छोटे भाई मथुरालाल के हक त्याग विलेख से खुले नामान्तरण संख्या 818 दिनांक 30.01.2014 से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का 3/4 एवं प्रतिवादिया कम 01 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजियात को वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीगण के दादा बजरंगलाल के खाते में वाके ग्राम रटावद तहसील बारां में सम्वत 2004 से 2007 की जमाबन्दी में कुल किता 4 रकबा 44 बीघा 17 बीस्वा आराजियात खातेदारी में थी। खातेदार बजरंगलाल का सम्वत 2004 में देहावसान हो गया, बजरंगलाल की मृत्यु के समय बजरंगलाल का एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी पुत्र धन्नालाल था, परन्तु बजरंगलाल के फौती नामान्तरण संख्या 554 से मृतक बजरंगलाल के खाते की आराजियात में गोद चले गये पुत्र श्योपाल का भी नाम खाते दर्ज हो गया। मृतक बजरंगलाल की सम्पूर्ण आराजियात पर ता जिन्दगी धन्नालाल एवं धन्नालाल की मृत्यु उपरान्त वादीगण उक्त विवादित आराजियात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हे।

सम्वत 2033 में श्योपाल की मृत्यु हो गई, श्योपाल की मृत्यु उपरान्त जर्ये फौती नामान्तरण संख्या 273 से मृतक श्योपाल के खातेदारी में दर्ज आराजियात प्रतिवादिया कम 01 के नाम खाते दर्ज हो गई। सम्वत! 2033 से आज दिनांक तक विवादित आराजियात पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश मृतक बजरंगलाल के फौती नामान्तरण के सजरे में श्योपाल का नाम अंकित कर नामान्तरण तस्दीक करने में भारी भूल की कयोंकि श्योपाल का अपने मृतक प्राकृतिक पिता बजरंगलाल की जमीन और जायदाद में कोई हक एवं अधिकार नहीं था, इस कारण नामान्तरण संख्या 554 से दर्ज हुआ श्योपाल का नाम गलत दर्ज हो जाने से नामान्तरण संख्या 554 श्योपाल के नाम तक प्रारम्भतः अवेध एवं शून्य था।

पूर्वज मृतक बजरंगलाल के एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी पुत्र धन्नालाल था। मृतक धन्नालाल के तीन पुत्र कमशः नाथूलाल, बिरधीलाल, मथुरालाल है। मथुरालाल के द्वारा अपने हक हिस्से का हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिए जाने के उपरान्त से ही वादीगण उक्त विवादित आराजियात के [illegible] खातेदार कृषक है। इस बाबत वादीगण नामान्तरण संख्या 554 एवं नामान्तरण संख्या [illegible] को अवेध एवं शून्य करार दिलवाकर प्रतिवादिया कम 1 के नाम खाते दर्ज 1/4 आराजियात को हाल राजस्व रिकार्ड अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अभिलेख से दाखिल खारिज करवाकर सम्पूर्ण आराजियात के वादीगण एकमात्र खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थितिकी की घोषणा करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

प्रतिवादिया कम 1 के मन में बदयान्ति आ गई और प्रतिवादिया कम 1 ने अपने पिता मृतक श्योपाल को अपने दत्तक पिता रूपा से प्राप्त हुई आराजियात को मृतक श्योपाल के फौती नामान्तरण से अपने पुत्रों के नाम खाते दर्ज करवा दिया और अधिकारहीन, अवैध एवं शून्य नामान्तरण संख्या 554 से श्योपाल के नाम खाते दर्ज आराजियात जो श्योपाल की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादिया कम 1 ने अपने नाम जर्ये फौती नामान्तरण संख्या 273 से खाते दर्ज करवा ली। उक्त आराजियात में प्रतिवादिया कम 1 का नाम खाते दर्ज होने का वह अनुचित लाभ उठाकर अपने नाम खाते दर्ज 1/4 आराजियात को रहन, बय एवं तृतीय हित अन्तरण करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण विवादित आराजियात पर अपने शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त एवं विवादित आराजियात में प्रतिवादिया कम 1 द्वारा अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्से की आराजियात को रहन, बय एवं तृतीय हित अन्तरण करने बाबत प्राप्त करने बाबत वादीगण प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 30.09.21 को की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल खाता मोका रटावद सम्वत 2004–2007, नकल खाता मोका रटावद सम्वत 2008–2011, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2012–15 खाता 94, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2016–19 खाता सं0 93, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2020–23 खाता सं0 100, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2024–27 खाता सं0 107, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2032–35 खाता सं0 131, नकल खतोनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2038–57 खाता सं0 137, नकल खाता मोका हनुवतखेडा, नकल खाता मोका हनुवतखेडा सम्वत 1982–85, नकल खाता मोका हनुवतखेडा सम्वत 1986–89, नकल खाता मोका हनुवतखेडा सम्वत 1990–93, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2072–75 खाता सं0 107, गोद नामा दिनांक 13.07.2015 व दिनांक14.07.15 पेश की गई। साक्ष्य वादी में जगन्नाथ, केसरीलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारा में स्थित है [illegible] आराजी है खातेदार धन्नालाल की मृत्यु के उपरान्त एवं छोटे भाई मथुरालाल [illegible] से विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी में वादीगण का 3/4 एवं प्रतिवादी [illegible] हिस्सा दर्ज है। बजरंगलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

दो पुत्र श्योपाल व धन्नालाल थे। धन्नालाल के तीन पुत्र नाथूलाल,बिरधीलाल, व मथुरालाल थे। श्योपाल नाबालिग अवस्था में रूपा मीणा निवासी उण्डा के गोद चला गया था। गोद जाने के बाद पिता बजरंगलाल की जायदाद में श्योपाल के समस्त अधिकार समाप्त हो गये तथा गोद गये पिता की जायदाद में अधिकार प्राप्त हो गये। रूपा की मृत्यु के बाद गोद पुत्र श्योपाल के नाम जर्ये नामान्तरण ग्राम हनुवतखेडा की 46.06 बीघा भूमि सम्वत 1981 के पूर्व ही दत्तक पिता रूपा से प्राप्त हो गई थी। वादीगण के दादा बजरंगलाल के खाते में ग्राम रटावद में कुल 44.17 बीघा भूमि थी। खातेदार बजरंगलाल की मृत्यु सम्वत 2004 में हो गई थी। मृत्यु के समय बजरंगलाल का एक मात्र वारिस धन्नालाल था। परन्तु बजरंगलाल के फोती नामा सं0 554 से मृतक बजरंगलाल के खाते की आराजी में गोद पुत्र श्योपाल का भी नाम दर्ज हो गया। सम्वत 2033 में श्योपाल की मृत्यु हो गई। श्योपाल की मृत्यु के बाद फोती नामा0 273 से प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज हुआ। सम्वत 2033 से आज तक विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। श्योपाल का अपने प्राकृतिक पिता की जमीन मे हक प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। नामा0 सं0 554 से श्योपाल का नाम गलत दर्ज किया है। नामा0 अवेध एक शून्य था। धन्नालाल के तीन पुत्र नाथूलाल, बिरधीलाल, मथुरालाल है। मथुरालाल द्वारा अपने हक हिस्से का हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। वादी उक्त आराजी के एक मात्र खातेद्वार कृषक है प्रतिवादी कम 1 का नाम खाते से खारिज किया जावे। वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल खाता मोका रटावद सम्वत 2004–07 नकल मोका रटावद सम्वत 2008–2011 में श्योपाल, धन्ना का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2012–15 खाता सं0 94 में श्योपाल, धन्ना बेटे बजरंगलाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2016–19 खाता सं0 93 में श्योपाल व धन्ना का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2020–23 खाता सं0 100, एवं नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2024–27 खाता सं0 107, में श्योपाल, धन्ना पुत्र बजरंगलाल दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2028–31 खाता सं0 107 में श्योपाल, नाथूलाल, बिरधीलाल, मथुरालाल का नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2032–35 खाता सं0 131 श्योपाल वल्द बजरंगलाल, नाथूलाल, बिरधीलाल, मथुरालाल पुत्र धन्ना, काली बेवा धन्ना के ख़ातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम सं0 15 व 16 में इन्तकाल नं0 273 से मृतक श्योपाल के स्थान पर लड़की द्वारकाबाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2038–57 खाता सं0 137 में द्वारका पुत्री श्योपाल, नाथूलाल, बिरधीलाल, मथुरालाल आ0 धन्नालाल, मु0 काली बेवा धन्ना के नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

विवादित भूमि बजरंगलाल के खातेदारी में दर्ज थी उनके मरने के बाद श्योपाल व धन्नालाल के खाते दर्ज हुई। श्योपाल के मरने के बाद द्वारकाबाई का नाम दर्ज हुआ तथा धन्ना लाल के मरने के बाद नाथूलाल, बिरधीलाल, मथुरालाल पुत्र धन्नालाल एवं काली बेवा धन्नालाल का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ।

नकल खाता मोका हनवतखेडा सम्वत 1981, सम्वत 1982 से 1985, सम्वत 1986–89 एवं सम्वत 1990–93 में श्योपाल बेटा रूपा जात मीना वास उन्डा दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि श्योपाल, रूपा के गोद पुत्र जाने से रूपा की सम्पूर्ण आराजी पर श्योपाल का नाम दर्ज हुआ। जामा पोती की लिखवाट में भी श्योपाल को रूपा के गोद जाना साबित होता है। जब श्योपाल रूपा के गोद पुत्र चला गया तो विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 द्वारकाबाई पुत्री श्योपाल का कोई हक हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। बजरंगलाल के दो पुत्र श्योपाल व धन्नालाल थे। श्योपाल रूपा के गोद चला गया। गोद जाने के बाद श्योपाल का अपने पिता बजरंगलाल की भूमि में हिस्सा लेने का अधिकार समाप्त हो जाता है। मात्र धन्नालाल का सम्पूर्ण आराजी पर खातेदार कृषक दर्ज होना चाहिये था परन्तु खातेदार बजरंगलाल की मृत्यु के बाद श्योपाल व धन्नालाल का नाम फोती नामा0 में दर्ज कर दिया। जबकि बजरंगलाल की भूमि में धन्नालाल का नाम ही दर्ज होना चाहिये था श्योपाल, रूपा के गोद चले जाने के बाद श्योपाल की मृत्यु होने पर द्वारकीबाई का नाम ग्राम हनवतखेडा व रटावद की दोनों गांव की भूमि में दर्ज कर दिया गया। वादी ग्राम रटावद की आराजी से प्रतिवादी कम 1 द्वारका बाई का नाम खाते से खारिज कराने के अधिकारी है। क्योकिं रूपा के पास ग्राम हनुवतखेडा की भूमि खाते दर्ज है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद ख0नं0 492 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 539 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 541 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 543 रकबा 1.55 है0, ख0नं0 672 रकबा 2.54 है0, ख0नं0 673 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 708 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 748 रकबा 0.66 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.39 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी कम 1 द्वारकाबाई का नाम खाते से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार कि दखल अंदाजी नहीं करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 92/15	धारा अन्तर्गत 88,89,90,92(A),188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :– 31.5.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/1 जगन्नाथ मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/2 रामगोपाल मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/3 केसरीलाल मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/4 रामकिशन मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

01/5 दुर्गाशंकर मीणा पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

2. बिरधीलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी नयागांव जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. श्रीमती द्वारका पुत्री श्री श्योपाल पत्नि किशनगोपाल जाति मीणा निवासी पानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद ख0नं0 492 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 539 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 541 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 543 रकबा 1.55 है0, ख0नं0 672 रकबा 2.54 है0, ख0नं0 673 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 708 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 748 रकबा 0.66 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.39 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी कम 1 द्वारकाबाई का नाम खाते से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार कि दखल अंदाजी नहीं करें।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

	व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner